

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 1413

दिनांक:- 16/7/2025

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1257 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा माह जुलाई, 2025 में दिनांक 27.07.2025 को राजकीय अवकाश के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की सीमा में सांगानेर व चाकसू मुख्यालय पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 183 भा.ना.सु.सं., 2023 के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 196 भा.ना.सु.सं., 2023 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर मुख्यालय पर स्थित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

उक्त पीठासीन अधिकारी के तथा रिजर्व ड्यूटी हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी के उक्त दिवस पर उपलब्ध ना हो पाने के कारण सांगानेर व चाकसू मुख्यालय का दिनांक 27.07.25 को आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी सुश्री छवि सिंघल को अधिकृत किया जाता है।

—sd—

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 1414 + 0 1421

दिनांक:- 16/7/2025

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क/सांगानेर, जयपुर।
- न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-12, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

जयपुर महानगर प्रथम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।